



प्रेषक,

अरविन्द सिंह,

उप सचिव

उ०प्र० शासन।

सेवा में,

आयुक्त,

राज्य कर

उ०प्र० शासन।

राज्य कर अनुभाग-4

लखनऊ: दिनांक 13 जुलाई, 2026

विषय:-जनपद-बरेली में राज्य कर विभाग की आवासीय कॉलोनी जनकपुरी में 07 नग आवासीय भवनों (भवन संख्या-48, 72, 74, 76, 78, 82 एवं 84) में अनुरक्षण संबंधित कार्य कराये जाने के सम्बंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्र संख्या-UPST-SMPTOPT3(AMWR)/10/179/2025-SMPT-UPST, दिनांक 18.06.2026 का कृपया संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा जनपद-बरेली में राज्य कर विभाग की आवासीय कॉलोनी जनकपुरी में 07 नग आवासीय भवनों (भवन संख्या-48, 72, 74, 76, 78, 82 एवं 84) में अनुरक्षण संबंधित कार्य कराये जाने हेतु 03 राजकीय कार्यदायी संस्थाओं के प्राप्त आगणन प्रस्तावों की 01-01 मूलप्रतियां, सहमति पत्र एवं घोषणा पत्र सहित संलग्न कर उपलब्ध कराते हुए प्रश्नगत कार्य कराये जाने हेतु आगणन प्रस्तावों में निहित निम्नानुसार न्यूनतम कुल धनराशि रु० 111.05 लाख की प्रशासनिक एवं वित्तीय स्वीकृति जारी करने का अनुरोध किया गया है।

2- उल्लेखनीय है कि शासनादेश संख्या-35/2026/1/1292523/2026/11-4099/70/2025 दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89 के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2216-07-800-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य के मानक मद-29-अनुरक्षण मद में प्रावधानित धनराशि रु० 1200.00 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति निर्गत करते हुए, आयुक्त, राज्य कर, उ०प्र० लखनऊ के निर्वर्तन पर रक्षित की गयी है

3- इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि जनपद-बरेली में राज्य कर विभाग की आवासीय कॉलोनी जनकपुरी में 07 नग आवासीय भवनों (भवन संख्या-48, 72, 74, 76, 78, 82 एवं 84) में मरम्मत/अनुरक्षण कार्य कराये जाने हेतु न्यूनतम आगणित कार्यदायी संस्था- उत्तर प्रदेश राज्य निर्माण एवं श्रम विकास सहकारी संघ लि०, प्रखण्ड मेरठ (UPCLDF) के प्रस्ताव के अनुसार, उक्त शासनादेश दिनांक 08.04.2026 द्वारा वित्तीय वर्ष 2026-27 में अनुदान संख्या-89

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

के राजस्व लेखा के लेखाशीर्षक 2216-07-800-03-वाणिज्य कर विभाग के आवासीय भवनों की विशेष मरम्मत एवं रख-रखाव कार्य के मानक मद 29-अनुरक्षण मद में आयुक्त, राज्य कर, 30प्र0 लखनऊ के निवर्तन रक्षित धनराशि के सापेक्ष कुल **रु0 111.05 लाख (रुपये एक करोड़ ग्यारह लाख पांच हजार मात्र)** की धनराशि का व्यय किये जाने की अनुमति निम्नलिखि शर्तों/प्रतिबंधों के अधीन प्रदान की जाती है:-

नियम व शर्तों/प्रतिबंधों-

(1) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में उल्लिखित दिशा-निर्देशों, वित्तीय हस्तपुस्तिका के सुसंगत प्राविधानों एवं समय-समय पर शासन द्वारा निर्गत शासनादेशों का पूर्ण अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(2) स्वीकृत की जा रही धनराशि का व्यय उन्हीं कार्यों/ मदों में किया जायेगा, जिसके लिए धनराशि स्वीकृत की जा रही है, किन्हीं अन्य कार्यों/मदों पर धनराशि का व्यय अथवा व्ययावर्तन वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी।

(3) अवमुक्त की जा रही धनराशि का आहरण एवं व्यय आवश्यकतानुसार किया जायेगा। स्वीकृत धनराशि को अनावश्यक रूप से डाकघर/बैंक खाते आदि में नहीं रखा जायेगा।

(4) प्रश्नगत कार्य के पूर्ण होने के उपरान्त कार्य हेतु निर्गत धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र तथा कार्यपूर्ति सम्बन्धी फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जायेगा।

(5) कार्य की गुणवत्ता, मानक एवं विशिष्टियों के अन्तर्गत पूर्ण किये जाने की जिम्मेदारी अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, बरेली जोन, बरेली की होगी।

(6) अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, बरेली जोन, बरेली द्वारा यह सुनिश्चित कर लिया जायेगा कि प्रश्नगत कार्यों की द्विरावृत्ति न हो।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026 दिनांक 28.03.2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे हैं।

भवदीय,

अरविन्द सिंह

उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

संख्या व दिनांक, उपर्युक्तानुसार।

प्रतिलिपि, निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
2. महालेखाकार (लेखा परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, 30प्र0, प्रयागराज।
3. अपर आयुक्त ग्रेड-1 राज्य कर, बरेली जोन, बरेली।
4. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
5. एडीशनल कमिश्नर (लेखा), राज्य कर, 30प्र0, लखनऊ।
6. मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।
7. सम्बंधित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी द्वारा आयुक्त राज्य कर 30प्र0 लखनऊ।
8. वित्त (व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-9, 30प्र0 शासन।
9. सम्बंधित कार्यदायी संस्था, द्वारा आयुक्त राज्य कर 30प्र0 लखनऊ।
10. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अरविन्द सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।